राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित भवन" जनपथ, जयपुर-302015
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ~~ई-मेल~~ jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांक :- एफ. 3(ख) (ओ-149/88)(लिंक नं. 8996)/ अलेसे-I I/ 2807-10 **दिनांक :-** 26.03.201

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री ओमप्रकाश स्वामी (लिंक न0. 8996) कार्यालय- अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), चुरू में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड़-II के पद पर कार्यरत है एवं जिनकी जन्म तिथि 30.12.1966 है, को उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 25.03.2019 के क्रम में दिनांक 30.03.2019 से 05.04.2019 तक (07 दिवस) की अवधि में चीन जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है:-

1. वर्तमान में लोकसभा आम चुनाव, 2019 के तहत् जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) चुरू से अनुमति प्राप्त कर एवं अवकाश स्वीकृत कराने के पश्चात् ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेगें।
2. वह विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व इस विभाग एवं सम्बन्धित कार्यालय को विदेश प्रवास में ठहरने का पूर्ण पता मय टेलीफोन नम्बर/फैक्स नम्बर आदि सूचित करेगें।
3. विदेश यात्रा के लिये प्रथम बार में स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि स्वीकार नहीं होगी।
4. वह विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार का व्यवसाय/विदेश सेवा ग्रहण नहीं करेगें।
5. वह विदेश यात्रा के दौरान राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीय भंग नहीं करेगें।
6. वह विदेश यात्रा में किसी प्रकार का अध्ययन नहीं करेगें।
7. उनके द्वारा विदेश से भेजा हुआ त्याग पत्र स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
8. विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार द्वारा/के माध्यम से कोई व्यय/ विदेश विनिमय नहीं किया जावेगा।
9. वह विदेश से लौटकर इस विभाग को सूचित करेगें।
10. पासपोर्ट की सत्यापित प्रति इस विभाग को प्रस्तुत करेगें।
11. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की उनके द्वारा पूर्ण पालना की जावेगी।

यह स्वीकृति 30.03.2019 से 05.04.2019 की अवधि के लिये मान्य होगी ।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- एफ. 3(ख) (ओ-149/88)(लिंक नं. 8996)/ अलेसे-I I/ 2807-10 **दिनांक :-** 26.3.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), चुरू।
2. श्री ओमप्रकाश स्वामी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II, कार्यालय- अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), चुरू को निर्देश दिये जाते है कि विदेश यात्रा के पश्चात् कार्यालय में कार्यग्रहण की रिपोर्ट इस निदेशालय को प्रेषित करायें।
3. उपनिदेशक कम्प्यूटर शाखा।
4. अतिरिक्त निजि सचिव, निदेशक महोदय।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)

D:/sasii/himmatji/order.doc